

प्रेस- विज्ञप्तिथाना जहानागंजहत्या का प्रयास करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** वादी श्री हरेन्द्र यादव S/O इन्द्रपति यादव ग्रा0 भीखमपुर पो0 भुजही थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ केद्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि विपक्षी 1. संतोष यादव S/O भूल्लू यादव 2. अशोक यादव S/O भूल्लू यादव 3. अवधेश यादव S/O रामजनम यादव 4. रमेश यादव पुत्र भूल्लू यादव 5. अभिषेक उर्फ लालू यादव S/O अवधनाथ यादव निवासीगण भीखमपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा वादी को जान से मारने का प्रयास किया गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 328/22 धारा 323, 504, 506, 324, 307, 458, 34 आईपीसी बनाम 1. हरेन्द्र यादव पुत्र इन्द्रपति यादव, 2. विदेशी यादव पुत्र सुरेश यादव, 3. वीरेन्द्र यादव पुत्र इन्द्रपति यादव, 4. संजय यादव पुत्र रामसमुझ यादव 5. सतेन्द्र यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासीगण भीखमपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव द्वारा अमल में लायी गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण:** दिनांक- 06.08.2022 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक यादव पुत्र भुल्लू यादव व 2. अभिषेक यादव उर्फ लालू पुत्र अवधनाथ यादव साकिनान भीखमपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को भुजही पुलिस के पास समय करीब 10.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया पुनः 3. हरेन्द्र यादव पुत्र इन्द्रपति यादव 4. विदेशी यादव पुत्र सुरेश यादव 5. विरेन्द्र यादव पुत्र इन्द्रपति यादव 6. संजय यादव पुत्र रामसमुझ यादव साकिनान भीखमपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को समय करीब 10.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया गिरफ्तार अभियुक्तों का चिकित्सीय परीक्षण कराकर समय से मा0न्यायालय रवाना करे। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग:**

1. मु0अ0सं0 327/22 धारा 323, 504, 506, 324, 307, 458, 34 आईपीसी थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 328/22 धारा 323, 504, 506, 324, 307, 458, 34 आईपीसी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास –**

1. हरेन्द्र यादव पुत्र इन्द्रपति यादव निवासी भीखमपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ 1. मु0अ0सं0 66/2021 धारा 171F, 188, 269 भादवि थाना जहानागंज
2. मु0अ0सं0 90/2021 धारा 147, 323, 352 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़ अन्य अभियुक्त का निल

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. अशोक यादव पुत्र भुल्लू यादव उम्र 28 वर्ष
2. अभिषेक यादव उर्फ लालू पुत्र अवधनाथ यादव उम्र 18 वर्ष
3. हरेन्द्र यादव पुत्र इन्द्रपति यादव उम्र 40 वर्ष
4. विदेशी यादव पुत्र सुरेश यादव उम्र 42 वर्ष
5. विरेन्द्र यादव पुत्र इन्द्रपति यादव उम्र 28 वर्ष
6. संजय यादव पुत्र रामसमुझ यादव उम्र 25 वर्ष साकिनान भीखमपुर थाना जहानागंज आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण**

1. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव हे0का0 जितेन्द्र सोनकर का0 शिवम कुमार का0 इम्तियाज अंसारी का0 विजय यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

**थाना- मेंहनगर****गैंगेस्टर की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार**

दिनांक- 06.08.2022 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 252/22 धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्ता सत्यभामा सिंह पत्नी अशोक सिंह निवासीगण ग्राम गौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम गौरा थाना मेंहनगर से समय 12.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान मा. उच्च न्याया. व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 252/22 धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास-** मु0अ0सं0 29/22 धारा 364-A/302/201/120-B/203 भा0द0वि0 थाना मेंहनगर

**गिरफ्तार अभियुक्ता -**

सत्यभामा सिंह पत्नी अशोक सिंह निवासीगण ग्राम गौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** थानाध्यक्ष श्री बसन्त लाल मय हमराह का0 हिमांशू गिरि का0 सोनू यादव का0 रोहित कुमार म0का0 दीक्षा मिश्रा थाना मेंहनगर आजमगढ़।

## थाना पवई

### तमन्चा व जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.08.2022 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन से अभियुक्त मन्तोष सिंह पुत्र सुशील सिंह निवासी अलीनगर थाना पवई जनपद आजमगढ को एक अदद अवैध तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ पकडा गया। अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराकर कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 02.25 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान नियमानुसार माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग: मु0अ0सं0 230/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 230/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ

2. मु0अ0सं0 98/2019 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त:-- मन्तोष सिंह पुत्र सुशील सिंह निवासी अलीनगर थाना पवई जनपद आजमगढ

बरामदगी -- एक अदद अवैध तमन्चा .315 व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 80 रूपया नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद का0 दमन पाण्डेय का0 अनुपम यादव थाना पवई जनपद आजमगढ

## थाना- बरदह

### गैगेस्टर के मुकदमे का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 06.08.22 को प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 269 /22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त चन्द्रभान पुत्र बदई राम सा0 असवनियां थाना बरदह जनपद आजमगढ को अभियुक्त के घर ग्राम असवनिया से समय करीब 08.55 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। एवं नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

अपराध का तरीका- अभि0 गणो द्वारा अपने गैग के सदस्य के आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ अर्जित करने हेतु गैग बना कर मारपीट कर हत्या कारित कर देने जैसा जघन्य अपराध कारित करना

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 269/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास –

(1) मु0अ0सं0 150/21 धारा 302 201 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ

(2) मु0अ0सं0 193/22 धारा 323,504,506,427 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- चन्द्रभान पुत्र बदई राम सा- असवनिया थाना बरदह आजमगढ

पुलिस टीम-

संजय सिंह ( प्रभारी निरीक्षक ) विनोद मौर्या , ( मुख्य आरक्षी ) हेमन्त कुमार (आरक्षी) सूरज सिंह ( आरक्षी ) राजेन्द्र कुशवाहा (आरक्षी) मनीषा यादव (म0आरक्षी) प्रीती पटवा (म0आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ

## प्रेस-विज्ञप्ति

### थाना- सरायमीर

आज दिनांक- 06.08.2022 को मा0 न्यायालय SPL (J)P आजमगढ द्वारा थाना सरायमीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 134/14 धारा 354 ख भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राममिलन सोनकर पुत्र लल्लन सोनकर निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त राममिलन को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।